

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला (सीकर)
पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

① गिरधारी :X: उनवान बनाम ① अनाची पानी बेकरार :X:

दावा बाबत घोषणा व रव्याई निवेद्याना

मुकदमा नम्बर :- 210/2014

निर्णय दिनांक :- 03-05-2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS

व हाजिरी मिनजानिब मुददई रुबरु श्री सुभाष शर्मा RAS


मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तन ग्राम लोहरवाडा तहसील खण्डेला अफिमिन कृषि अमि
290 नै 863, 864, 867 ता 870 रकबा 6.57 है एवं खण्डेला 1016
ता 1022, 1025, 1026 से मूतक मूरा पुत्र धन्ना के नाम पर्ज 1/2
हिस्सा की जा सैदारी अमि से 1/4 हिस्सा का वादी सं 10 ता
उ को, 1/4 हिस्सा का वादी सं 4 ता 7 को, 1/4 हिस्सा
का प्रतिवादी सं 8 ता 10 को तथा 1/4 हिस्सा का X.

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

गई।


(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला(सीकर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
6 कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7 आदेशिका की तामील		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

× मोरी ② सीताराम पुत्रगण गोरी

④ छीतर पुत्र मुमा

⑤ पदमा ⑥ जगन पुत्रगण परमा नाबालिक जरिह
माना प्राकृतिक संरक्षक संती डेकी पत्नी परमा

⑦ सन्ती उकी पत्नी परमा

⑧ मुरली ⑨ श्योपाल पुत्रगण नारायण

⑩ धरजी पत्नी स्मृ नारायण

समाप्त जाति जाट निवामी लोहरवाडा तहसील
खैला जिला पीठा (राज)

- (वादीगण)

बनाम

× ① प्यायू ② संज्या ③ केशरी पुत्र/पुत्रिया विमारम
जाति जाट निवामी लोहरवाडा तहसील खैला
जिला पीठा (राज)

④ भूमिधारी राजपूत सरकार जरिह तहसील खैला

- (प्रतिवादीगण)

× प्रतिवादी सं. ग. ५ के पारिफार काशगडार
घोषित किया जात है तथा इन्हें पारस
मम्बरान से मृतक भूरा पुत्र धन्ना का
नाम हजफु किया जात है। उक्तानुसार
राजस्व रिपोर्ट में अमल दरासद हो।

3/1/18